**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2030

उत्‍तर देने की तारीख: 28 जुलाई, 2014

**राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र**

**2030. श्री परवेज़ हाशमीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति के समुदायों से ताल्लुक रखने वाले कर्मियों तथा छात्रों का प्रतिशत कितना-कितना

रहा है;

(ख) क्या इन समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्‍व दिलाने के लिए संबंधित कानून तथा अदालती फैसलों द्वारा सुनिश्चित किए गए उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त वर्णित संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के पर्याप्‍त प्रतिनिधित्‍व के लिए आईआईटी-संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा में अर्हकारी परीक्षा (10+2) के कुल अंकों में 5 प्रतिशत छूट की अनुमति दी जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें, क्रमश: 15 तथा 7.5 प्रतिशत, नहीं भरी जाती हैं, तो एक वर्ष के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सीमित संख्‍या में अभ्‍यर्थियों को दाखिल किया जाता है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर छात्रों को अगले वर्ष में दाखिला दिया जाता है। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र ट्यूशन शुल्‍क के भुगतान से मुक्‍त हैं और उन्‍हें नि:शुल्‍क पुस्‍तक बैंक सुविधा उपलब्‍ध कराई जाती है। यदि उनकी पैतृक आय 4.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है तो उन्‍हें नि:शुल्‍क मैस के साथ 250 रूपए प्रतिमाह का जेब खर्च भी दिया जाता है। संस्‍थान की छात्रवृत्ति लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रावास के कमरे के किराया भुगतान की भी छूट है। इसके अतिरिक्‍त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्‍न छात्रवृत्तियां/अध्‍येतावृत्तियां दी जाती है। निर्धारित आरक्षण मानकों के अनुसार स्‍टाफ की रिक्तियों भरने के उद्देश्‍य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भर्ती हेतु समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता है।

(घ): केन्‍द्रीय स्‍तर पर डिग्री तथा उससे ऊपर के स्‍तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

\*\*\*\*\*